

**FIRST INFORMATION REPORT**  
**(Under Section 154 Cr.P.C.)**

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2015 **FIR No:** 41 **Date:** 21.10.2015

2. **Act(s):** **Section(s)**  
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7/8/13  
(ii)  
(iii)  
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Wednesday **Date From:** 21.10.2015 **Date To:** 21.10.2015  
**Time Period:** **Time From:** **Time To:**  
(b) **Information received at P.S:** **Date:** 21.10.2015 **Time:** 13.20  
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 9 **Time:** 13.20

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S** West /90 Km **Beat No.:** 03  
(b) **Address:** Area Of Distt. Sirsa  
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**  
**Name of P.S:** SVB (H) Hisar **District:** Hisar

6. **Complainant/Informant:**

**Name:** Insp. Jagjit Singh SVB Unit Sirsa  
(a)

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:**

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

- (i) Dayal Singh Naib Tahsildar Kalanwali SRS
- (ii) Baljinder Singh Patwari and Jagar Singh Kanoongo Halqua Rori
- (iii) Balwinder Singh S/o Boot Singh and Mejar Singh s/o Kirpal Singh R/o Rori

8 **Total value of property stolen:**

9

10 **Total value of property stolen:**

11 **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12

**F.I.R Contents (attach separate sheet, if**

श्रीमान जी जांच क्रमांक 6 दिनांक 18.05.2015 सिरसा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 62/40/15-4 चौ० II दिनांक 13.05.2015 की अनुपालना मे दर्ज रजि० होकर महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो (ह) पचंकुला के पृष्ठांकान क्रमांक 6856/आई-3/SVB(H) दिनांक 19.05.2015 अनुसार इस मण्डल मे प्राप्त हुई यह जांच परिवादी श्री हरबन सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मलेशिया

की शिकायत प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट निरीक्षक राजेन्द्र कुमार रा.चौ.ब्यूरो (ह) हिसार के आधार पर दर्ज रजिस्टर की गई थी जिसमें आरोप है कि दयाल सिंह नायब तहसीलदार कालावाली जागर सिंह कानुनगो हल्का रोडी बलजिन्द्र सिंह पटवारी हल्का रोडी व अन्य द्वारा हरबन सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मलेशिया हरप्रित सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी अमृतसर पंजाब की गांव रोडी की जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बदले 6 लाख रुपये रिश्वत लेने बारे प्राप्त हुई उक्त आरोप की पूर्ण पडताल नि० जगजीत सिंह रा.चौ.ब्यूरो (ह) उप केन्द्र सिरसा द्वारा की गई जो आरोप की पडताल से पाया गया कि हरबन सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मलेशिया G.P.A. होल्डर राजेन्द्र सिंह , बलजिन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह वासियान मलेशिया अपनी जमीन गांव रोडी की रजिस्ट्री करवाने के लिये उप तहसील कालावाली में दिनांक 22 जनवरी 2015 को आया था लेकिन श्री दयाल सिंह नायब तहसीलदार कालावाली द्वारा G.P.A. को वैरीफाई करवाने का बहाना बना कर रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया जबकि यह G.P.A. पहले ही वितायुक्त एंवम प्रधान सचिव हरियाणा चण्डीगढ से पहले ही दिनांक 03.05.2015 को एम्बोस हो चुका था और विक्रेतागण द्वारा दिनांक 23.01.2015 को पुनः उपायुक्त सिरसा में सरकारी फिस अदा करके एम्बोस करवाकर रजिस्ट्री करवाने के लिये उप तहसील कालावाली गये तो वहा पर श्री बलजिन्द्र सिंह पटवारी द्वारा इन्तकाल ठीक करवाने का बहाना लगा कर रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया और बाद में दिनांक 05.02.2015 को गांव रोडी में विक्रेतागण हरप्रित सिंह व हन्नी से पटवारी बलजिन्द्र सिंह कानुनगो जागर सिंह , बलविन्द्र पुत्र बुटा सिंह और मेजर सिंह पुत्र किरपाल सिंह वासीयान रोडी द्वारा 6 लाख रुपये रिश्वत लेने की बात तय करके रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया जो इस बात की तस्दीक जागर सिंह कानुनगो हल्का रोडी , बलजिन्द्र सिंह हल्का रोडी , बलविन्द्र सिंह पुत्र बुटा सिंह जट सिख , मेजर सिंह पुत्र कृपाला सिंह जट सिख वासीयान रोडी व हरप्रित पुत्र रणजीत सिंह निवासी मकान 21 ए गली न० 1 इस्ट रणजीत बिहार लोहारका रोड अमृतसर की आपस में हुई बातचीत की रिकार्डिंग से होती है रिश्वत की बात तय होने उपरान्त दिनांक 11.02.2015 को उन्ही दस्तावेजो G.P.A. व इन्तकाल जिन पर पहले उन्होने एतराज किया था को सही मान कर जमीन की बाकाया राशी में से 6 लाख रुपये रिश्वत की राशी काट कर बाकी रकम का भुगतान करके श्री दयाल सिंह नायब तहसीलदार उप तहसील कालावाली श्री बलजिन्द्र सिंह पटवारी हल्का रोडी, जागर सिंह कानुनगो हल्का रोडी , बलविन्द्र पुत्र बुटा सिंह व मेजर सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण रोडी द्वारा आपस में मिलीभगत करके उक्त रजिस्ट्रीया पजीकृत कर दी । अतः श्री दयाल सिंह नायब तहसीलदार उप तहसील कालावाली श्री बलजिन्द्र सिंह पटवारी हल्का रोडी , जागर सिंह कानुनगो हल्का रोडी , बलविन्द्र पुत्र बुटा सिंह और मेजर सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण रोडी के विरुद्ध धारा 7,8,13,49/88 पी.सी. एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने व तफतीश के दौरान अन्य कोई मामला पाये जाने पर उसे भी तफतीश के दौरान शामिल किये जाने की सिफारिश सहित रिपोर्ट तैयार करके महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 12508/एस.वी.बी./एच दिनांक 26.08.2015 अनुसार सरकार को भिजवाई गई तदोपरान्त यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 62/40/2015-4 चौ० II दिनांक 07.10.2015 की अनुपालना में महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो (ह) पंचकुला

के पृष्ठांकान क्रमांक 14841/1-3/SVB(H) दिनांक 09.10.2015 के अनुसार श्री दयाल सिंह नायब तहसीलदार उप तहसील कालावाली श्री बलजिन्द्र सिंह पटवारी हल्का रोडी ,कानुनगो जागर सिंह हल्का रोडी , बलविन्द्र पुत्र बुटा सिंह और मेजर सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण गावं रोडी के विरुद्ध धारा 7,8,13,49/88 पी.सी. एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने तथा इसके अतिरिक्त तफतीश के दौरान किसी अन्य कर्मचारी / अधिकारी को कोई मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का निर्णय लिया गया है प्राप्ता आदेशो की अनुपालाना मे उक्त सभी 5व्यक्तियों के खिलाफ मु० बा जुर्म मजकुर दर्ज रजि० करके मिशाल मु० हजा मय आमदा रिकार्ड ( कुल पांच फाईले जांच क्रमांक 6/15 सिरसा ) बराये तफतीश निजद निरीक्षक महेन्द्र सिंह रा.चौ.ब्यूरो हिसार भेजी जा रही है । नकुलात प्र.सू.रिपोर्ट बदस्त ई.एस.आई. कृष्ण सिंह 501/सिरसा के ईलाका मजिस्ट्रेट सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा को बजरिया स्पेशल वाहक भेजी जा रही है ।

**Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:**

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed (Name of the I.O.): Mohinder Singh

Rank: Insp.

No. A/34

to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

**F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:**

**R.O.A.C.:**

14.

**Signature/Thumb Impression  
Of The Complainant/Informant:**

**Signature of Officer  
Name Anil Kumar  
Rank Insp. No H/161**